न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस

अपील संख्याः 150/2016 एल.आर.एक्ट **GCMS No. 2016/00045**

1. रूखमणीदेवी पुत्री मघाराम जाति माली निवासी ग्राम कानासर तहसील व जिला बीकानेर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. भागीरथ पुत्र मघाराम जाति माली निवासी नत्थूसर मालिसों का बास, बीकानेर।
2. लक्ष्मण पुत्र मघाराम जाति माली निवासी पंवारसर कुंए के पास, बीकानेर।
3. श्रीमती चॉदादेवी पत्नी सुखेदेव प्रसाद खड़गावत जाति माली निवासी सिटी कोतवाली के पीछे, खड़गावतों का मौहल्ला, बीकानेर।
4. देवकिशन
5. सुरेशकुमार
6. हरिकिश्न

   पिसरान जमनादास मूंधड़ा जाति मूंधड़ा निवासीगण व्यासों के कुए के पास, बीकानेर।
7. गोविन्दराम
8. रामप्रताप

   पिसरान उमाराम जाति जाट निवासीगण पुरानी चुकी चौकी के पास, गजनेर रोड़, बीकानेर।
9. धुड़सिंह पुत्र आसुसिंह जाति माली निवासी पंवारसर कुए के पास, बीकानेर।
10. टील्लुराम पुत्र नवलाराम जाति माली निवासी पंवारसर कुए के पास, बीकानेर।
11. राजस्थान सरकार जरिए उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत।

– रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः श्री तेजकरण गहलोत — अभिभाषक अपीलांट
श्री सत्यनारायण तिवाड़ी — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग बीकानेर सत्यमेव जयते

निर्णय

दिनांक 21.08.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय न्यायालय कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के निर्णय दिनांक 03.06.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम कानासर तहसील बीकानेर में खसरा नंबर 757 तादादी 129 बीघा 12 बिस्वा भूमि एवं खसरा नंबर 632 तादादी 84 बीघा कुल तादादी 213 बीघा 12 बिस्वा भूमि अपीलांट के पिता मघा पुत्र गोपी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 9 के पिता आसुसिंह व रेस्पोडेन्ट संख्या 10 के पिता नवलाराम की संयुक्त खाते की भूमि थी। अपीलांट के पिता मघाराम के देहान्त के पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 एवं अपीलांट की माता मृत्तक केशर बेवा मघाराम के नाम विरासतन इंतकाल संख्या 420 दिनांक 08.02.1985 दर्ज हो गया। अपीलांट ने इंतकाल संख्या 420 दिनांक 08.02.1985 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय कलक्टर एवं उपायुक्त

संभागीय आयुक्त बीकानेर

उपनिवेशन, बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर ने अपील को मियाद एवं गुणावगुण दोनों ही बिन्दुओं पर खारिज कर दिया। न्यायालय कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के आदेश दिनांक 03.06.2013 से व्यथित होकर अपीलांट ने न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर में अपील प्रस्तुत की। राजस्थान सरकार उपनिवेशन विभाग, जयपुर की अधिसूचना प.3(3)/ उप. 88 पार्ट दिनांक 26.08.2016 के क्रम में उपनिवेशन तहसील गजनेर मुख्यालय कोलायत जिला बीकानेर के ग्राम कानासर को उपनिवेशन बीकानेर से डी–कॉलोनाईज करने पर क्षेत्राधिकार राजस्व विभाग के अधीन होने के कारण पत्रावली इस न्यायालय में हस्तान्तरित होकर पेशी में ली गई।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट के पिता मघाराम की खातेदारी भूमि है। अपीलांट के पिता की मृत्यु दिनांक 12.05.1968 को हुई अर्थात हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रभाव में आने के पश्चात हुई। जिसके कारण अपीलांट का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत वादग्रस्त भूमि में कानूनन हक निहित है। वादग्रस्त भूमि की खातेदार मघाराम पुत्र गोपीराम के देहान्त के पश्चात मघाराम की उक्त कृषि भूमि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत उनके प्रथम श्रेणी के जायज वारिसान अपीलांट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 केसर बेवा मघाराम को बहिस्सा बराबर प्रत्येक को 1/4 हिस्सा जरिए विरासतन दर्ज होना था परन्तु विरासतन दर्ज इन्तकाल संख्या 420 दिनांक 08.02.1985 में केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 तथा मृतक केसर बेवा मघा का नाम ही दर्ज किया गया। अपीलांट का नाम दर्ज नहीं किया। इस बिन्दु को अधीनस्थ न्यायालय ने नजर अन्दाज किया है। उक्त वादग्रस्त भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 एवं केसर(मृतक) बेवा मघाराम ने रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को बेचान कर दी थी परन्तु कानूनन अपीलांट का भी उक्त वादग्रस्त भूमि पर 1/4 अविभाजित हिस्सा है। अपीलांट अपने हिस्से पर कब्जा काश्त है। अपीलांट की सहमति के बिना किए गए विक्रय पत्र अपीलांट के हिस्से की हद तक शून्य है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील तारीख जानकारी से अन्दर मियाद पेश की गई थी। जिसे रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 जो नामान्तरण संख्या 420 में पक्षकार ही नहीं थे ऐसे लोगों द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र के आधार पर एवं अपील मीमो में टाईपिंग गलती से दिनांक 08.02.1985 के स्थान पर 10.06.1990 अंकित होने के आधार को अपील मियाद बाहर मानने में अधीनस्थ न्यायालय ने स्वविवेक का सही उपयोग नहीं किया है। है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के आदेश दिनांक 03.06.2013 निरस्त करवाया जाकर वादग्रस्त भूमि के संबंध में विरासतन इन्तकाल दर्ज करने का आदेश करावें। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपनी बहस में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांतों का हवाला दिया है

1. आर.बी.जे 1998 पेज नंबर 43
2. आर.आर.टी (1) 2007 पेज नंबर 42
3. आर.आर.डी 2015 पेज नंबर 508
4. आर.एल.डब्ल्यू 2015 (2) पेज नंबर 988
5. आर.आर.टी 2009 (2) 1280
6. आर.बी.जे 2009 पेज नंबर 204
7. आर.एल.डब्ल्यू 2015 (2) 939 एस.सी

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत दौराने बहस कथन किया कि वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 की खरीदशुदा भूमि है जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। अपीलांट को इन्तकाल संख्या

420 दिनांक 18.02.1985 की प्रारम्भ से ही थी। अपीलांट का यह कथन की उसे इंतकाल संख्या 420 की जानकारी नहीं थी वह उचित नहीं है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में मघाराम के देहान्त की दिनांक की सूचना नहीं दी थी। इंतकाल संख्या 420 के 14 नंबर कोलम में लिखा गया है कि 32 वर्ष पहले मर गया था। मघाराम की मृत्यु 1953 में ही थी। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने से पूर्व ही अपीलांट के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने से पूर्व अपीलांट का कोई हक उक्त वादगत भूमि में नही था। मृत्तक मघाराम की विधवा केसर एवं दो पुत्रों भागीरथ एवं लक्षमण को ही वारिस मानकर नामान्तरकरण दर्ज किया गया था। वादगत भूमि का निस्तारण कब्जे के आधार पर होना चाहिए अपीलांट का वादगत भूमि पर कभी कब्जा नही रहा है। वादगत भूमि का बेचान कई बार हो चुका है। उक्त वादगत भूमि का विक्रय चांदा को कर दिया गया था और उसके पक्ष में इंतकाल भी दर्ज हो गया था। चांदा ने भी सुरेश वगैरह को विक्रय कर दी। जिसका इंतकाल संख्या 94 भी दर्ज हो गया था। उक्त वादगत भूमि 9 बार बैय हो चुकी है। जब तक बैयनामा अस्वीकार नही हो जाता तब तक नामांतरकरण जारी रहेगा। यदि अपीलांट अपने हक की घोषणा करवाना चाहती हैं तो उसे सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करनी चाहिए। अपीलाधीन इंतकाल संख्या 420 दिनांक 16.06.1990 को नहीं होकर दिनांक 08.02.1985 को हुआ था। अपीलांट ने इंतकाल संख्या 420 की तिथि भी अधीनस्थ न्यायालय के अपील मीमों में गलत अंकित की थी। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील लगभग 23 वर्ष अपील प्रस्तुत की थी। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को मियाद बाहर मानकर सही किया थां। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपनी बहस में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टिांतों का हवाला दिया हैं

1. आर.आर.डी 1962 पेज नंबर 260
2. आर.आर.डी 1968 पेज नंबर 457
3. आर.आर.डी 1990 पेज नंबर 649
4. आर.आर.डी 1992 पेज नंबर 360
5. आर.आर.डी 2003 पेज नंबर 403
6. आर.आर.डी 1986 पेज नंबर 590
7. आर.आर.टी 2012(1) पेज नंबर 375
8. आर.आर.डी 1968 पेज नंबर 457
9. आर.बी.जे 2018 पेज नंबर 653
10. एआईआर (राज) 1967 पेज नंबर 283

4— हमने अधीनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख व न्यायिक दृष्टांत का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्ष की बहस का मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की अपील मुख्यतः इस आधार पर खारिज की है कि अपीलांट द्वारा नामांतरकरण की प्रक्रिया से लगभग 23 वर्ष 5 माह के बाद वादग्रस्त भूमि पर अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जो उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह भी कथन किया कि अपीलांट के विवादित भूमि में कोई अधिकार बनते हो तो वह सक्षम न्यायालय से अपने अधिकारों की घोषणा करवायें।

इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील मीमों एवं अधीनस्थ न्यायालय की उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलाधीन इंतकाल संख्या 420 दिनांक 08.02.1985 के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 06.07.2009 को प्रस्तुत की गई, जो इंतकाल दर्ज होने की दिनांक से लगभग 23 वर्ष 5 माह बाद प्रस्तुत गई। अपील में अपीलांट का मुख्य कथन यह है कि अपीलधीन भूमि में अपीलांट के पिता मघाराम के हिस्से में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं 2 के साथ अपीलांट की पुत्री होने से बराबर का हिस्सा हैं तथा उत्तराधिकार अधिनियम 1996 की धारा 8

संभागीय आयुक्त बीकानेर

के अनुसार प्रथम श्रेणी का वारिस होने से अपीलांट अपीलाधीन भूमि में अधिकार रखती है।

अपील में अपीलांट के पिता मघाराम का जो मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं उसमें मघाराम की मृत्यु की दिनांक 12.05.1958 दर्ज होना अंकित है। यहां यह विचारनीय प्रश्न है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपील 06.07.2009 को प्रस्तुत की गई थी। तत्समय यह मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया, जबकि अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 420 दिनांक 08.02.1985 के विशेष विवरण के कॉलम में मघाराम की मृत्यु लगभग 32 वर्ष पूर्व होना अंकित है। इसके अतिरिक्त अपीलाधीन भूमि रेस्पोडेन्ट द्वारा जरिये बैयनामा बैय की जा चुकी है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा यह भी बताया गया कि अपीलाधीन भूमि रेस्पोडेन्ट द्वारा विक्रय करने पर आगे से आगे 8 से 9 बार विक्रय हो गई है तथा वर्तमान में अपीलधीन भूमि पर अपीलांट का कब्जा नही होकर क्रेता का कब्जा है। अतः नामांतरकरण अपीलांट के नाम दर्ज किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, साथ ही निरंतर विक्रय से विविध वाद की उत्पत्ति होती है। अपीलाधीन भूमि में अपीलांट अपने अधिकारों को तय करावने के लिए सक्षम न्यायालय में चाराजोही हेतु स्वतंत्र है।

उपरोक्त परिपेक्ष में अधीनस्थ न्यायालय कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.06.2013 को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती हैं।

5– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 21.08.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/8/24

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर

कार्यालय संभागीय आयुक्त संभाग बीकानेर
सत्यमेव जयते